

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:—अराज0 / सामान्य / टी.सी. / 2024 / 143

दिनांक:— 15/03/2024

अधीक्षक
हरिबक्स कांक्टिया चिकित्सालय
शास्त्री नगर, जयपुर

विषय :- कार्मिक को कार्यग्रहण कराये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- क्रमांक 1057-63 दिनांक 12.03.2024 एवं 1096 दिनांक 13.03.2024 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके आदेश क्रमांक 1057-63 दिनांक 12.03.2024 के द्वारा श्री विनोद कुमार काम्या, लैब टैक्नीशियन को पद रिक्त नहीं होने के कारण अधिशेष मानते हुये आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु कार्यमुक्त किया गया है, किन्तु 1096 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा वर्तमान में लैब टैक्नीशियन का एक पद रिक्त बताया गया है, एवं पूर्व में लैब टैक्नीशियन का 01 पद रिक्त होने के उपरान्त भी उक्त कार्मिक का वेतन/भत्ते अन्य संस्थान से आहरित किये जा रहे हैं, चूंकि दोनों ही स्थितियां एक दूसरे की परस्पर विरोधाभासी है।

अतः उक्त प्रकरण की वास्तविक वस्तु स्थिति से निदेशालय को अवगत कराते हुए इस प्रकार के विरोधाभाषी आदेश/पत्र जारी करवाने वाले दोषी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना एवं उक्त कार्मिक को पुनः आपके संस्थान पर कार्यग्रहण कराते हुये कार्यग्रहण की सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—अराज0 / सामान्य / टी.सी. / 2024 / 143

दिनांक:— 15/03/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।
2. संबंधित कार्मिक को सूचनार्थ।
3. आदेश / रक्षित पत्रावली।

प्र. प्रकाशित एवं प्रस्तावना को वेबसाइट पर अपलोड है।

RajKaj Ref
6172344

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 15-03-2024 07:08:49